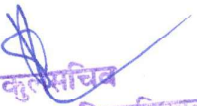


दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 10.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न योजना बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नांकित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी,
अध्यक्ष,
एन0ए0टी0, भारत सरकार, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. प्रोफेसर शची शाह,
निदेशक,
COE, इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 4. प्रोफेसर के0के0 पंत,
निदेशक, आई0आई0टी0, रूड़की,
उत्तराखण्ड।
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 5. प्रोफेसर रेनू प्रकाश,
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 6. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डे,
निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 7. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी,
सह-प्राध्यापक, वानिकी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 8. | डॉ० नीरजा सिंह,
सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 9. | श्री खेमराज भट्ट,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |
| 10. | श्री सूर्य प्रताप सिंह,
मुख्य वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |
| 11. | प्रोफेसर सोमेश कुमार,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |

माह सितम्बर, 2025 में विश्वविद्यालय की योजना बोर्ड का पुर्नगठन होने के उपरान्त बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित की गयी। बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम कुलसचिव/सदस्य सचिव, योजना बोर्ड द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, योजना बोर्ड तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन उपस्थित समस्त सदस्यों का योजना बोर्ड की 8वीं बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों का परिचय देते हुए विशेष रूप से योजना बोर्ड की बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, प्रोफेसर शची शाह तथा आभासीय (Online) माध्यम से बैठक में उपस्थित प्रोफेसर के०के० पंत का स्वागत करते हुए बैठक में प्रतिभाग हेतु उनका विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का योजना बोर्ड की 8वीं बैठक में स्वागत किया गया।

योजना बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डी०के० असवाल तथा प्रोफेसर नीरज द्विवेदी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय पारित किया गया:-

प्रस्ताव संख्या-08.01- योजना बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 27.07.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि योजना बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 27.07.2024 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यूयोयू/आर/यो0बो0/7/2024, दिनांक 27.07.2024 के माध्यम से सभी सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथा समय अवगत करा दिया जाय, इस पर किसी भी सदस्य से कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए सप्तम बैठक दिनांक 27.07.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.02- योजना बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 27.07.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

योजना बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 27.07.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन कर, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.03- विश्वविद्यालय में स्थापित शिशु सदन के सुचारू संचालन हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, शिशु सदन द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मिकों को कार्यस्थल पर सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में वर्ष 2022 में शिशु सदन (Creche) की स्थापना की गयी जिसमें 06 माह से 06 वर्ष तक के शिशुओं की देखरेख की जाती है। शिशु सदन संचालित किये जाने हेतु 02 कक्ष एवं 01 रसोईघर आवंटित किया गया है तथा बच्चों की देखभाल हेतु बाह्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से सेवाएं ली जा रही हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) में उच्च ग्रेडिंग स्तर को प्राप्त किये जाने हेतु किसी भी संस्थान के लिए शिशु सदन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय में स्थापित शिशु सदन के सुचारू संचालन हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिगत निम्नानुसार प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

1. कक्ष- (कार्यालय प्रयोगार्थ-01, बच्चों के क्रियाकलाप हेतु -01, बच्चों को फिडिंग कराने हेतु -01 तथा शयन कक्ष-01) कुल 04 कक्ष
2. रसोईघर - 01
3. प्रसाधन - 02
4. कर्मिक - (गार्ड-01, आया- 01 तथा पर्यावरण मित्र -01) कुल 03 कर्मिक
5. बच्चों की सुरक्षा एवं उचित देखरेख के दृष्टिगत शिशु सदन हेतु पृथक से एक भवन

निर्णय:-

योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित शिशु सदन के सुचारु संचालन हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा आन्तरिक व्यवस्था के तहत कर ली जाय।

प्रस्ताव संख्या-08.04- विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के सुचारु संचालन हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला सशक्तीकरण व उसके सर्वांगीण विकास हेतु लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और लिंग संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2023 द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र (Center For Women Studies) स्थापित किया गया है, जिसे समाज विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा महिला अध्ययन संबंधित पाठ्यक्रम (स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा व प्रमाण-पत्र) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संचालित किया जाना प्रस्तावित है। तदक्रम में महिला अध्ययन केन्द्र के सुचारु संचालन हेतु निम्नवत् मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने के संबंध में विचार हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

1. कक्ष - 01 (कार्यालय हेतु)
2. शिक्षक - 03 (महिला अध्ययन विषय विशिष्ट शिक्षक व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप)

निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की इस पहल के लिए प्रशंसा की गयी तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर किये जाने की संस्तुति करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.05- विश्वविद्यालय परिसर के विकास (Landscape Development) हेतु आधारभूत आवश्यकताओं पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय को 12बी की मान्यता प्राप्त है तथा आगामी वर्षों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) में उच्च ग्रेडिंग स्तर को प्राप्त किये जाने तथा देश के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में उच्चतर रैंकिंग हेतु विश्वविद्यालय परिसर के परिदृश्य को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित संरचनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है:-

1. ओपन जिम और खेल सुविधाओं (लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबाल एवं अन्य) की स्थापना।
2. वर्षा जल संचयन प्रणालियों को विकसित किया जाना।
3. परिसर में हरित कैम्पस।
4. सामुदायिक कल्याण के लिए आवासीय पार्कों का निर्माण।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

5. कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने की पहल।
6. पूरे परिसर की जैविक घेराबन्दी (Bio Fencing)।
7. केंद्रीय मैदान का सौंदर्यीकरण और भूदृश्यीकरण।
8. एक बहुउद्देशीय खेल और गतिविधि मैदान का विकास।
9. स्थायी और सतत जल आपूर्ति समाधान का प्रावधान।
10. मुख्यालय और परिसर कार्यालय में आदर्श अध्ययन केंद्र का संवर्धन और सुदृढीकरण।
11. प्रतीक्षालय, कैंटीन और स्वागत कक्ष सहित भौतिक अवसंरचना का विकास।
12. पार्किंग सुविधाओं का नवीनीकरण और विस्तार।
13. परिसर के प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण और सुधार।
14. सौर ऊर्जा क्षमता का उन्नयन और विस्तार।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ध्वनि मत से सराहना करते हुए सौर ऊर्जा क्षमता का उन्नयन के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की समस्त विद्याशाखाओं, परीक्षा भवन एवं अतिथि गृह आदि की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.06- विश्वविद्यालय मुख्यालय और परिसर में Transit Hostels एवं मीटिंग/सेमिनार हॉल स्थापित किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी और परिसर कार्यालय, देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि शिक्षार्थियों, अतिथियों, शिक्षकों और कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए आरामदायक प्रवास सुनिश्चित किया जा सके और विश्वविद्यालय की सुविधाओं तक सभी की आसान पहुँच सुनिश्चित की जा सके। ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु रूपरेखा निम्नानुसार है:-

क्षमता और आवास (Capacity & Accommodation)

कुल क्षमता :- 100 व्यक्ति

- 60 पुरुष निवासी
- 40 महिला निवासी

डोरमैट्री संरचना: 6 डोरमैट्री (प्रति डोरमैट्री लगभग 16-18 व्यक्ति)

प्रस्तावित सुविधाएँ

- पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग विंग
- साझा (Common) भोजन कक्ष और रसोई
- साझा (Common) शौचालय (प्रत्येक विंग में)
- साझा (Common) कक्ष

- मीटिंग/सेमिनार हॉल

निर्णय:- विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी और परिसर कार्यालय, देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल एवं मीटिंग/सेमिनार हॉल स्थापित किये जाने की सराहना करते हुए योजना बोर्ड द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.07- विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। विशेष रूप से जैव विविधता संरक्षण (Biodiversity conservation), विरासत संरक्षण (Heritage Conservation), हिमालयी अध्ययन (Himalayan Studies), एवं इको पर्यटन (Eco-tourism) से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित परिणाम

- उपरोक्त प्रस्तावित योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
- प्रस्तावित योजनाएं उपरोक्त क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के कौशल विकास द्वारा रोजगार की संभावनाओं के अवसर बढ़ाएंगी साथ ही पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान के उपयोग की समझ विकसित करेंगी तथा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।
- उत्तराखंड में युवाओं के प्रवासन को कम करने में सहायक होंगी।
- उपरोक्त ज्ञान से परिपूर्ण एवं कौशल युक्त युवा वन पंचायत जैसी विरासतों को सुदृढ़ और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास मात्र 10 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है जो की इस तरह की विस्तार योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्व में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से 30 हेक्टेयर भूमि विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत की गई थी। तत्समय वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विश्वविद्यालय उक्त भूमि को अधिग्रहित नहीं कर पाया था। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह उचित होगा की विश्वविद्यालय उत्तराखंड सरकार से अतिरिक्त भूमि हेतु प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए आवेदन करे। अतिरिक्त भूमि के लिए प्रस्ताव दो अलग-अलग परियोजनाओं के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं:-

अ- प्रस्ताव संख्या-01

हिमालय अध्ययन केंद्र एवं संग्रहालय व ट्रांजिट हास्टल। इस हेतु अनुमानित 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। वन विभाग से प्रारम्भिक वार्ता में यह संज्ञान में आया है कि दुग्ध निदेशालय एवं आई0बी0 कार्यालय के मध्य लगभग 2 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
जन्म: गिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

ब- प्रस्ताव संख्या- 02

जैव विविधता संरक्षण हेतु (Biodiversity conservation) जैव विविधता पार्क की स्थापना एवं इको पर्यटन (Eco-tourism) के लिए व्याख्या- प्रदर्शन तथा कौशल विकास केंद्र की स्थापना। इस हेतु अनुमानित 20 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। वन विभाग से प्रारम्भिक वार्ता में यह संज्ञान में आया है कि एन0डी0आर0एफ0 को आवंटित भूमि से लगी 35 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इस उपलब्ध भूमि की मांग हेतु आवेदन किया जा सकता है। तदक्रम में प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत संबंधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.08- शिक्षार्थी अध्ययन केंद्र/कौशल संवर्धन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, राज्य के प्रत्येक जिले में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा। उत्तराखण्ड शासन स्तर पर प्रकरण गतिमान है तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के सभी 13 जिलों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जाएंगे जिनकी रूपरेखा निम्नवत् योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है:-

बुनियादी ढाँचा:- कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं वाले केंद्र नए भवनों या मौजूदा सरकारी संस्थानों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में बनाए जाएंगे।

मानव संसाधन की तैनाती:- UGC/DEB/NCVET के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए समन्वयकों, प्रशिक्षकों, परामर्शदाताओं और सहायक कर्मियों का चयन या पैनल में शामिल किया जायेगा।

वित्त पोषण और संचालन:- कौशल केंद्रों के लिए बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षण और संचालन गतिविधियों के समर्थन के लिए राज्य सरकार के अनुदानों के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। संस्थागत आवश्यकताओं और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर UGC/NCVET के दिशा-निर्देशानुसार नए शिक्षार्थी सहायता केंद्र (LSCs) और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (RSCs) स्थापित किए जाएंगे।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या-08.09- विश्वविद्यालय में Incubation Centre स्थापित किए जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि शिक्षार्थियों, कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के बीच नवाचार, उद्यमिता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी में एक इन्क्यूबेशन केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। यह Incubation Centre स्टार्ट-अप उद्यमों को सहायता प्रदान करने और मौलिक अवधारणाओं को लाभदायक उद्यमों में बदलने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह केंद्र शिक्षार्थियों को उनके रचनात्मक विचारों को लाभदायक उद्यमों में बदलने में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग संभावनाएँ और बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा। संबंधित प्रकरण शासन स्तर पर गतिमान है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय में Incubation Centre स्थापित किया जायेगा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित Incubation Centre के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

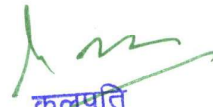
- पूर्व छात्रों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- रचनात्मक स्टार्ट-अप्स को व्यवहार्य और स्केलेबल व्यवसायों के रूप में विकसित होने में सहायता प्रदान करना।
- नवोन्मेषी (nurture innovative) स्टार्ट-अप्स को स्केलेबल और टिकाऊ व्यावसायिक कंपनियों के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- महत्वाकांक्षी व्यवसाय स्वामियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना ताकि वे अपनी स्टार्ट-अप कंपनियों का विकास और शुभारंभ कर सकें।
- शैक्षणिक अनुसंधान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करके नवाचार और तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रोजगार सृजन, कॉर्पोरेट विस्तार और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.10- विश्वविद्यालय में शोध परिषद और नैतिक समिति (Research Council and Ethical Committee) स्थापित किए जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय और शोध छात्रों के हित में अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करने, गुणवत्ता और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने तथा नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में एक शोध परिषद (Research Council) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यह परिषद विश्वविद्यालय में समग्रता में शोध एवं अनुसंधान हेतु दिशा-निर्देश बनाये जाने में सलाह देगी तथा विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम शोध एवं नवाचारों के आलोक में विश्वविद्यालय की नीतियों को विकसित करने में सहयोग करेगी।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय में एक नैतिक समिति (Ethical Committee) के गठन का भी प्रस्ताव है जो विश्वविद्यालय के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि सभी अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियाँ ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित हों। तदक्रम में प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में शोध परिषद और नैतिक समिति (Research Council and Ethical Committee) स्थापित किये जाने से पूर्व एक Vision Document तैयार किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.11- विश्वविद्यालय में नियुक्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु चिकित्सा सुविधा आदि पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में नियुक्त कार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार ढांचागत मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

1. **परिसर में स्वास्थ्य केंद्र:-** डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ से पूरी तरह सुसज्जित चिकित्सा इकाई।
2. **अस्पताल गठजोड़ (Hospital Tie-ups):-** उन्नत देखभाल के लिए आस-पास के सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन।
3. **निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम:-** टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित जाँच।
4. **फिटनेस और कल्याण सहायता:-** योग, फिजियोथेरेपी और जीवनशैली मार्गदर्शन।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के इस प्रयास की प्रशंसा की गयी। साथ ही संबंधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए संस्तुति की गई कि विश्वविद्यालय के आस-पास के सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबन्ध किया जाय जिसके अन्तर्गत सप्ताह में एक बार चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्वविद्यालय का दौरा कर कार्यरत कार्मिकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

प्रस्ताव संख्या-08.12- विश्वविद्यालय में रक्षा प्रकोष्ठ (Defence Cell) स्थापित किए जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में रक्षा प्रकोष्ठ मुख्य रूप से रक्षा कर्मियों की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसमें उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र में तैनात सैन्य कर्मी और सेवानिवृत्ति के बाद उत्तराखंड में बसे कर्मी शामिल हैं। रक्षा प्रकोष्ठ रक्षा कर्मियों (सेवारत या सेवानिवृत्त), उनके बच्चों और उनके आश्रितों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता और सुविधा प्रदान करेगा। रक्षा कर्मी अपनी नौकरी की बाध्यताओं और सेवा संबंधी आवश्यकताओं के कारण


कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
दल्हौली (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
दल्हौली जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पारंपरिक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित नियमित कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते हैं। उत्तराखंड में कई रक्षा और अर्धसैनिक प्रतिष्ठान स्थित हैं जहाँ बड़ी संख्या में रक्षा कर्मी तैनात हैं, जिनकी उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

माह अगस्त, 2025 में विश्वविद्यालय द्वारा बंगाल इंजीनियरिंग, रूड़की के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षर किया गया है जिसमें प्रवेश प्रारम्भ हो गये हैं। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अन्य रक्षा एवं अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों के साथ भी अनुबन्ध किये जाने पर कार्य किया जा रहा है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.13- विश्वविद्यालय में उद्योग अकादमिक प्रकोष्ठ (Industry-Academic Cell) स्थापित किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि उद्योग अकादमिक प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय की एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य कार्यरत पेशेवरों और विश्वविद्यालय के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। यह एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करेगा जो शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत के बीच की खाई को दूर करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा CSR-1 प्रमाण-पत्र के लिए प्रयास किया जा रहा है, साथ ही गरीब बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिये जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उद्योग अकादमिक प्रकोष्ठ के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं:-

- उद्योग विशेषज्ञों के व्याख्यान, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन।
- छात्रों के लिए इंटरशिप, औद्योगिक भ्रमण और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।
- उद्योग के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ और परामर्श सेवाएँ स्थापित करना।
- उभरते उद्योग रुझानों और कौशल के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करना।
- उद्योग अकादमिक नेटवर्किंग और सहयोग के लिए मंच तैयार करना।
- उद्योग की भागीदारी के साथ अल्पकालिक प्रमाणन और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना।
- स्टार्ट-अप, इनक्यूबेशन सहायता और उद्यमशीलता पहलों को प्रोत्साहित करना।
- कौशल विकास, कार्यकारी शिक्षा और अनुसंधान में भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अवसर पैदा करना।
- CSR कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उद्योग से धन प्राप्त कर सकते हैं।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.14- विश्वविद्यालय में अंतर्विषयी 'हिमालय अध्ययन केंद्र एवं विरासत संग्रहालय' की स्थापना पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि संग्रहालय अपनी संग्रह-सामग्री के माध्यम से एक कहानी कहते हैं। वस्तुओं को विशेष ढंग से संयोजित करके और विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाकर, संग्रहालय उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों को दर्शाते हैं, जिसमें हम रहते हैं, और उन्हें व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। पुरावस्तुओं और आख्यानों के माध्यम से संग्रहालय प्रत्येक युग में हमारी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, क्योंकि प्रत्येक काल अपने ढंग से अतीत से संवाद करता है, प्रत्येक काल के अपने अनूठे सवाल होते हैं। उत्तराखण्ड में विरासत और पारम्परिक ज्ञान के संग्रहालय के रूप में उत्तराखंड विरासत संग्रहालय इस दिशा में पहला प्रयास होगा, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक डाटाबेस को प्रमाणिक रूप से विकसित करेगा।

हिमालय अध्ययन केन्द्र एवं उत्तराखंड विरासत संग्रहालय एक व्याख्या केन्द्र (*Interpretation Centre*) के रूप में कार्य करेगा और यह आगंतुकों एवं विद्यार्थियों को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण ढंग से जीवंत सीखने का अवसर उपलब्ध कराएगा। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय कुमाऊँ की तलहटी में स्थित है और हल्द्वानी नगर में लगभग 5 उच्च शिक्षा संस्थान तथा 24 से अधिक माध्यमिक शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें लगभग 20,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इस प्रकार, संग्रहालय का उत्तराखण्ड की युवा पीढ़ी पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

अनेक शिक्षार्थी/विद्यार्थी नियमित तरीकों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे शिक्षार्थियों के लिए संग्रहालय बेहतर ढंग से सीखने की जगह बन जाते हैं, पुरा-वस्तुओं और प्रदर्शनियों को देखते हुए विद्यार्थी और आगंतुक प्रत्यक्ष रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वे उसे सामने देखते हैं, सुनते हैं अनुभव करते हैं और अतीत तथा संस्कृति उनके सामने साकार हो उठती है।

संग्रहालय द्वारा प्रस्तावित शोध और अध्ययन पारंपरिक पार-अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी केंद्रित होंगे, जैसे पड़ोसी देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भारत- नेपाल तथा चीन के संदर्भ में 'पड़ोसी नीति'। यह केंद्र नीति निर्माता, वकालत समूह और संगठनों को शोध आधारित जानकारी प्रदान करके जनहित और पर्यावरण-हितैषी विकास निर्णय लेने में सहायक होगा। केंद्र में उत्पन्न ज्ञान अंततः मौजूदा ज्ञान को और अधिक विकसित करने में योगदान देगा, ताकि मानव प्रगति को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

प्रस्तावित हेरिटेज म्यूजियम और हिमालय अध्ययन केंद्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- उत्तराखंड की जीवंत विरासत का संरक्षण, अंतः-स्थाने (*in-situ*) और बहिस्थाने (*ex-situ*) संरक्षण, दस्तावेजीकरण और पुनर्जीवन।
- विभिन्न प्रकार के सूचना संसाधनों का सुदृढ़ संग्रह तैयार करना और उत्तराखंड पर 'स्टेट ऑफ़ आर्ट' डेटा बैंक और ज्ञान केंद्र स्थापित करना।
- क्षेत्र के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक सूचना प्रणाली और नेटवर्क का डिजाइन और विकास।
- उत्तराखंड पर प्रासंगिक पहलुओं पर सांस्कृतिक विश्वकोश (*Cultural Encyclopaedia*) का विकास।
- उत्तराखंड की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मंच और अवसर प्रदान करना।

- उत्तराखण्ड के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मानव-प्रकृति संबंधों के अब तक बिखरे, कम ज्ञात या अज्ञात पहलुओं को उजागर करना।
- क्षेत्र पर नए ज्ञान आधार के माध्यम से निर्णय निर्माताओं और विभिन्न संगठनों की सहायता करना।
- हिमालय पर मौजूदा ज्ञान को और विकसित करना।
- संग्रहालय संग्रह के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन।
- क्षेत्र का प्रामाणिक ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विकास संबंधी शोध और पुनर्निर्माण करना।
- हिमालय अध्ययन पर लघु एवं दीर्घकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना और उपलब्ध कराना।
- कला, शिल्प, फार्माकोग्नोसी या अन्य वैज्ञानिक ज्ञान क्षेत्रों में पारंपरिक ज्ञान के वाहकों, शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल संवर्धन हेतु उद्योगों के साथ संबंध विकसित करना।
- हिमालयी विषयों और मुद्दों पर संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उत्सवों का आयोजन।

संग्रहालय का औचित्य

(क) प्रस्तावित संग्रहालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के उद्देश्यों को साकार करता है:-

- संग्रहालय आधारित शिक्षा के माध्यम से अनुभवात्मक अधिगम (*Experiential Learning*) को प्रोत्साहित करेगा।
- भारतीय ज्ञान प्रणालियों (*Indian Knowledge Systems - IKS*) को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समाहित करेगा।
- विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल — जैसे सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन एवं सांस्कृतिक गौरव — का विकास करेगा।
- हेरिटेज मैनेजमेंट, म्यूजियम स्टडीज और पारंपरिक शिल्प से संबंधित प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाएगा।

(ख) डिजिटल इंडिया मिशन

प्रस्तावित “हिमालयी डिजिटल डाटाबेस एवं सूचना प्रणाली (*Himalayan Digital Database and Information System – HDDIS*)” डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत-

- सांस्कृतिक धरोहरों का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
- शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए मुक्त-सुलभ (*Open Access*) अभिलेखागार तैयार किए जाएंगे।
- 3D स्कैनिंग, GIS और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (*AI*) जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर वर्चुअल हेरिटेज टूर और डिजिटल संग्रहालय विकसित किए जाएंगे।

(ग) एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB)

संग्रहालय एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता को सशक्त करेगा। इसके तहत-

- उत्तराखंड की परंपराओं और कलाओं को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले अन्तर-राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे पारस्परिक समझ, सहयोग और राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) वोकल फॉर लोकल/आत्मनिर्भर भारत अभियान

- संग्रहालय में शिल्प प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाया जाएगा।
- यह पहल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम से भी जुड़कर स्थानीय शिल्प आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी।

(ङ) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन एवं राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया

संग्रहालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission on Cultural Mapping) एवं राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जैसी पहलों के साथ साझेदारी कर सकेगा। इसके माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक, भाषायी और पारंपरिक धरोहर का डिजिटल अभिलेखन एवं वर्चुअल प्रसार किया जाएगा।

(च) यूनेस्को के सतत विकास लक्ष्य (SDG 11.4)

यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 11.4 के अनुरूप है, जो “विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों को सुदृढ़ करने” पर बल देता है।

(छ) यह उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन-प्रणालियों पर आधारित एक ज्ञान केंद्र और डेटा बैंक के रूप में कार्य करेगा। सूचना प्रणाली के विकास के लिए भारत सरकार की नीति के तहत, यह NICMAN, NICFOS आदि के समान हिमालय अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केंद्र भी बनेगा।

परियोजना के अपेक्षित परिणाम

- यह उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का संरक्षण, संरक्षण करेगा और उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास करेगा।
- यह समाज की समझ को बढ़ाएगा और लोगों को उनकी विरासत और संस्कृति पर गर्व महसूस कराएगा। इस प्रकार यह राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देगा।
- अध्ययन मॉड्यूल/पाठ्यक्रमों के माध्यम से यह विभिन्न स्तरों पर युवाओं की क्षमता निर्माण और कौशल विकास में योगदान देगा।
- सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान का डिजिटलीकरण भारत सरकार के डिजिटल-इंडिया कार्यक्रम की दिशा में एक कदम होगा।
- कला एवं शिल्प संग्रहालय स्थानीय हस्तशिल्प उद्यमियों को अद्वितीय और दुर्लभ स्थानीय डिजाइनों के साथ प्रयोग करने में मदद करेगा।
 - संग्रहालय और केंद्र पूरी तरह से संचालन में आने के बाद, यह नई शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 22.9 की अपेक्षाओं को पूरा करेगा, जिसमें कहा गया है-
“इसके साथ ही अपनी कला और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए, विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, पुरावशेषों का संरक्षण करना, संग्रहालयों

तथा धरोहर या पर्यटन स्थलों के संचालन और प्रबंधन के लिए उच्च योग्य व्यक्तियों का विकास करना- इस प्रकार पर्यटन उद्योग को भी अत्यधिक सशक्त बनाना।”

वित्तीय आवश्यकताएँ : इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रु 8 करोड़ होगी।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.15- ADB के सहयोग से निर्मित उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का Institutional Development Plan (IDP) के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि Asian Development Bank (ADB) के सहयोग से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का Institutional Development Plan (IDP) तैयार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की प्रगति का आगामी 10 वर्षों का रोड मैप निर्मित किया है। माह जुलाई, 2025 में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड शासन के समक्ष इस योजना का प्रस्तुतिकरण कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। तदक्रम में विश्वविद्यालय का Institutional Development Plan (IDP) विस्तृत रूप में योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.16- विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों को राज्य सरकार के अधीन खाली/बन्द पड़े भवनों में संचालित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य के अलग-अलग स्थानों में स्थापित है जिसमें से 04 कुमाऊँ और 04 गढ़वाल मण्डल में है। विश्वविद्यालय के पास स्वयं के भवन न होने के कारण इन क्षेत्रीय कार्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में संचालित किया जा रहा है जिसमें संबंधित महाविद्यालय से एक प्राध्यापक को क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है तथा 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशक शासन द्वारा स्वीकृत पद के सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये हैं। विश्वविद्यालय के उक्त क्षेत्रीय केन्द्रों को राज्य सरकार के अधीन खाली एवं बन्द पड़े भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु कुछ राजकीय इन्टर कॉलेजों को चिन्हित कर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वर्तमान में निम्नानुसार 03 क्षेत्रीय केन्द्रों को राजकीय भवनों में संचालित किये जाने हेतु चिन्हित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शेष क्षेत्रीय केन्द्रों के संचालन हेतु भी राजकीय भवनों को चिन्हित किये जाने का कार्य किया जा रहा है:-

1. क्षेत्रीय केन्द्र, पिथौरागढ़ को प्राथमिक विद्यालय, पिथौरागढ़ में
2. क्षेत्रीय केन्द्र, पौड़ी को राजकीय इन्टर कॉलेज, श्रीनगर में
3. क्षेत्रीय केन्द्र, रुड़की को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, बहादुराबाद में


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र हल्द्वानी को विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी में तथा क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून को परिसर कार्यालय, देहरादून में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.17- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन केन्द्रों को उत्तराखण्ड के सभी जिला मुख्यालय में बंद पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रतिबद्ध है। तदक्रम में समस्त जनपदों के शिक्षार्थियों की सुविधाओं एवं पहुँच को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन केन्द्र, राज्य के जिला मुख्यालय अथवा मुख्यालय के समीप उत्तराखण्ड सरकार के बंद पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.18- विश्वविद्यालय मुख्यालय में 500 सीट की क्षमता वाले एक ऑडिटोरियम के निर्माण के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक बार दीक्षांत समारोह आयोजित जाता है जिसमें विश्वविद्यालय के माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति जी के अतिरिक्त कई गढ़मान्य अतिथि उपस्थित रहते हैं। साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर, पी0जी0 डिप्लोमा एवं शोध पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह में उपाधियां एवं पदक प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सेमिनार/ वर्कशाप आदि अकादमिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इन आयोजनों हेतु विश्वविद्यालय के पास सुव्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ सभागार/ऑडिटोरियम निर्मित नहीं है।

उक्तानुसार विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक 500 सीट की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव से योजना बोर्ड अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.19- विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों की आधारभूत संरचनाएं एवं कार्यक्षमता को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जाने के संबंध में निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्नवत् बिन्दु समाहित किए गए हैं:-

1. विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव

वर्तमान में क्षेत्रीय केंद्रों के पास स्वयं की समुचित अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है। सहायक क्षेत्रीय निदेशक वर्तमान में संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमित कक्ष से ही कार्य कर रहे हैं। अतः क्षेत्रीय केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव है:

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यालय कक्ष
- विद्यार्थियों के परामर्श हेतु कक्षाएं (काउंसलिंग)
- पुस्तकालय एवं पठन कक्ष
- आगंतुकों के लिए विश्राम कक्ष
- ICT-सक्षम अधोसंरचना

2. प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत जिला केंद्रों की स्थापना

जिला केंद्रों की स्थापना से अध्ययन केंद्रों के संचालन का विकेंद्रीकृत प्रबंधन संभव होगा। इससे विद्यार्थियों की क्षेत्रीय पर निर्भरता कम होगी तथा विश्वविद्यालय की पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगी। साथ ही जिला स्तर पर शैक्षणिक सेवाओं में भी सुधार होगा।

3. क्षेत्रीय केंद्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता

क्षेत्रीय केंद्रों के सुचारू संचालन हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है:

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी -01
- पर्यावरण मित्र (स्वच्छता एवं हरित वातावरण हेतु)-01

4. क्षेत्रीय केंद्रों में अधोसंरचना उपलब्ध होने के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार:

i. भविष्य में जब क्षेत्रीय केंद्र बेहतर हो जाएँ, तब निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी:

- शिक्षण स्टाफ (शैक्षणिक परामर्श हेतु)- आवश्यकतानुसार
- तकनीकी सहायक - 1
- प्रशासनिक सहायक - 1

ii. क्षेत्रीय केंद्रों से भी शैक्षणिक परामर्श (काउंसलिंग) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर विचार:-

इससे न केवल अध्ययन केंद्रों, बल्कि क्षेत्रीय केंद्रों से भी काउंसलिंग प्रदान कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सुविधा मिल सकेगी।

परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन कराए जाने पर विचार: क्षेत्रीय केंद्रों में उपयुक्त अधोसंरचना उपलब्ध होने के बाद मूल्यांकन प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, जिससे परीक्षा परिणामों के प्रकाशन में समय की बचत होगी।

- iii. क्षेत्रीय केंद्रों में ICT सुसज्जित परीक्षा हॉल की स्थापना:
क्षेत्रीय केंद्रों में निम्नलिखित सुविधाओं से युक्त परीक्षा हॉल स्थापित करने का प्रस्ताव है:
- ICT सक्षम परीक्षा केंद्र
 - निगरानी प्रणाली (CCTV) एवं बायोमेट्रिक सुविधा (आवश्यकतानुसार)
 - ऑनलाइन एवं ऑफलाइन परीक्षा संचालन की पूर्ण सुविधा
- iv. क्षेत्र में जहाँ संभव हो, वहाँ विशेष अध्ययन केंद्र (LSCs) की स्थापना पर विचार:
जैसे अर्द्धसैनिक बल एवं सशस्त्र सेना के कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएं।
- v. क्षेत्रीय केंद्रों हेतु समुचित बजट आवंटन की आवश्यकता:

क्षेत्रीय केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु उपयुक्त इम्प्रेस्ट राशि का निर्धारण आवश्यक है। वर्तमान में यह राशि मात्र रु 5000/- है, जिसे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव का योजना बोर्ड द्वारा अवलोकन कर क्षेत्रीय केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु इम्प्रेस्ट राशि से संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित करते हुए शेष प्रस्ताव पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.20- विश्वविद्यालय में स्थापित केन्द्रीय पुस्तकालय को व्यवस्थित योजना के अन्तर्गत विकसित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि ज्ञान के निरंतर प्रसार एवं विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों को एक समृद्ध, संगठित व आधुनिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विभागीय स्तर पर सीमित संसाधनों के कारण गुणवत्ता युक्त एवं अद्यतन पठन सामग्री सुलभ नहीं हो पा रही है। अतएव विश्वविद्यालय में स्थापित केन्द्रीय पुस्तकालय को आधुनिक व डिजिटल सुविधाओं से युक्त किये जाने एवं ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जाने के संबंध में नोडल अधिकारी, पुस्तकालय द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका विस्तृत विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव का योजना बोर्ड द्वारा अवलोकन कर विश्वविद्यालय में स्थापित केन्द्रीय पुस्तकालय को आधुनिक व डिजिटल सुविधाओं से युक्त किए जाने एवं ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाएं विकसित किए जाने पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या-08.21- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्तीय योजना, प्रशासनिक योजना, अकादमिक योजना एवं अवस्थापना योजना से संबंधित अन्य कोई प्रस्ताव।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या-08.21-01- विश्वविद्यालय में स्थापित सामुदायिक रेडियो 'हैलो हल्द्वानी' हेतु ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 में सामुदायिक रेडियो 'हैलो हल्द्वानी' की स्थापना की गई जिसकी फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहर्ट्ज तथा पहुँच 6 किलोमीटर (ऑन एयर) है। रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए हल्द्वानी शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में इसे सुना जाता है। रेडियो संचालन की अवधि प्रतिदिन 6 घंटा (प्रातः 10.30 से सांयकाल 4.30 बजे तक) तथा रेडियो प्रसारण की भाषा हिन्दी एवं कुमाऊँनी है। विश्वविद्यालय द्वारा सामुदायिक रेडियो 'हैलो हल्द्वानी' 91.2 का ऐप भी बनाया गया है जिसका लोकार्पण दिनांक 04 सितम्बर, 2025 को माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया। ऐप के माध्यम से इसका प्रसारण प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक देश दुनिया में कहीं भी सुना जा सकता है।

विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 'हैली हल्द्वानी' द्वारा प्रतिदिन कई कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं यथा- आज का मौसम, विचार, इतिहास, तराना, स्टूडेंट्स कार्नर, आधी आबादी, हैल्दी हल्द्वानी, यंग हल्द्वानी, मिसाल-बेमिसाल, बात पहाड़ ही, योजनाएं घर द्वार, डिजिटल दुनिया आदि, किन्तु सीमित संसाधनों एवं ढांचागत आधारभूत संरचनाओं की कमी होने के कारण इसके सुचारु संचालन में कई कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। सामुदायिक रेडियो 'हैलो हल्द्वानी' को अपग्रेड करने एवं ढांचागत आधारभूत संरचनाओं को विकसित किए जाने के संबंध में प्रभारी, सामुदायिक रेडियो द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका विस्तृत विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव का योजना बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया तथा वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक के अन्त में योजना बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, प्रोफेसर शची शाह एवं प्रोफेसर के0के0 पंत द्वारा विश्वविद्यालय की योजनाओं की सराहना करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त योजना बोर्ड के सदस्य सचिव/ कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, योजना बोर्ड

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

13/10/2025 18

कुलपति/अध्यक्ष, योजना बोर्ड

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)